न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–412/17 ((RCMS No. 2017/00436) 18 आयुध अधिनियम 1959)

विशाल सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी गढ़ी जखौदा थाना कंचनपुरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर
2. जिला कलक्टर धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 26.05.2017

उपस्थितिः–

1. श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 28.02.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञापत्रधारी रामरज के फौत होने पर उसके शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपने नाम स्थानान्तरण कराने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आयुध नियम 2016 के नियम 25 के तहत उत्तराधिकारियों में अनुज्ञाप्तिधारी के पति, पत्नि, पुत्र पुत्री, दामाद, वधु, भाई, बहिन और पौत्र शामिल होने से तथा प्रावधानों में भतीजा नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के पिता विजेन्द्र सिंह के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/06/टीएचएस/डीएम/डीएलआर दिनांक 13.02.06 को जारी किया गया था। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु वर्ष 2007 में हो गयी थी। अपीलान्ट के पिता के उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपीलान्ट के चाचा श्री रामरज पुत्र सिरदार सिंह के नाम हस्तान्तरण कर दिया था। अपीलान्ट के चाचा अविवाहित थे तथा अपीलान्ट के परिवार के साथ ही रहते थे। अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण वर्ष 2007 में रामरज परिवार के मुखिया थे। इसलिये उक्त शस्त्र का हस्तान्तरण उनके नाम हुआ था। अब अपीलान्ट के चाचा रामरज का भी देहान्त दिनांक 26.07.2014 को हो गया है। रामरज

अविवाहित होने से उनके कोई सन्तान व विधिक वारिस प्रथम श्रेणी नही हैं उनके अपीलान्ट द्वितीय श्रेणी के वारिस होने के कारण उक्त शस्त्र को अपने नाम हस्तान्तरण कराने का अधिकारी है। अपीलान्ट व उसके चाचा एक ही परिवार के सदस्य हैं। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत मरहोली द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड से होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नही किया है। उनका तर्क है कि आयुध नियम 2016 के तहत परिवार के सदस्य को शस्त्र अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपीलान्ट के नाम हस्तान्तरण किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलान्ट के चाचा रामरज के नाम है। आयुध नियम 2016 के अनुसार उक्त अनुज्ञापत्र पति, पत्नि, पुत्र पुत्री, दामाद, वधु, भाई, बहिन और पौत्र के हक में हस्तान्तरण किया जा सकता है। इसमें भतीजा शब्द शामिल नही है। इसलिये प्रावधानों में भतीजा नही होने से अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (वि0शा0) जोन भरतपुर के पत्रांक 3733 दिनांक 30.09.15 में अंकित है कि '' अपीलान्ट के पिता स्व0 विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सरदार सिंह की मृत्यु हो जाने पर इनको लाईसेन्स नं0 70/75 पर दर्ज 12 बोर एसबीबीएल गन नं0 5687 को अपीलान्ट के चाचा स्व0 रामरज के नाम लाईसेन्स नं0 3/2006 पर हस्तान्तरण कर दिया गया था। अब चाचा की मृत्यु होने पर अपीलान्ट चाचा के नाम दर्ज उक्त बंदूक को परिवार जनों की सहमति से अपने नाम कराना चाहता है। मृतक के कोई सन्तान नही है। अतः लाईसेन्स सं0 3/2006 निरस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।'' इससे यह तो स्पष्ट है कि पूर्व में लाईसेन्स नं0 70/75 जो अपीलान्ट के पिता विजेन्द्र के नाम था, पर दर्ज 12 बोर एसबीबीएल गन नं0 5687 को अपीलान्ट के चाचा स्व0 रामरज के नाम लाईसेन्स नं0 3/2006 पर हस्तान्तरण किया गया था। चूँकि अब उक्त शस्त्र लाईसेन्स सं0 3/2006 रामरज के नाम पर दर्ज है जो फौत हो चुका है। अपीलान्ट अनुज्ञापत्रधारी के भतीजे हैं। आयुध नियम 2016 के नियम 25 के अनुसार उत्तराधिकारियों में अनुज्ञाप्तिधारी के पति, पत्नि, पुत्र पुत्री, दामाद, वधु, भाई, बहिन और पौत्र को माना है। उक्त नियमों में भतीजा शब्द नही है। इसलिये नियमों के अनुसार उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपीलान्ट भतीजे को स्थानान्तरण नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियमों की पालना में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संभागीय आयुक्त
भरतपुर